



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4279 वर्ष 2026

लव कुश

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : उत्कर्ष मिश्रा, अभिषेक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता आज न्यायालय में सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करते हैं, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक-अभियुक्त लव कुश की ओर से थाना-उमरीबेगमगंज, जिला गोंडा में पंजीकृत अपराध संख्या 94 वर्ष 2026, धारा 115(2), 351(3), 352, 324(4), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक-अभियुक्त को घायल अनिल सिंह की माता द्वारा दिनांक 04.05.2026 को समय 21:23 बजे दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा फँसाया गया है। उक्त प्राथमिकी आवेदक सहित चार व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। प्राथमिकी में यह आरोप है कि उसी तिथि अर्थात् 04.05.2026 को लगभग 02:00 बजे अपराहन, आवेदक-अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्त इस विरोध के साथ सूचनाकर्ता के घर में घुस आए कि उनके मवेशी अभियुक्त के खेत चर गए थे। चारों अभियुक्तों ने घायल अनिल सिंह, उनकी पत्नी सीमा सिंह तथा उनके पुत्र प्रिंस सिंह की लाठी व डंडे से पिटाई शुरू कर दी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि केवल अनिल सिंह को चोटें आई हैं। प्राथमिकी में जिन्हें चोटिल दर्शाया गया है, उन सीमा सिंह एवं प्रिंस सिंह को कोई चोट नहीं आई है। प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराई गई है। आवेदक-अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका आवंटित नहीं की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत घायल अनिल सिंह के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। विवेचना प्रचलित है। आवेदक-अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। चोटें प्राणघातक प्रकृति की नहीं हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक-अभियुक्त एवं सह-अभियुक्त ने घायल अनिल सिंह को लाठी व डंडे से पीटा है। घायल को ललाट अस्थि (फ्रंटल बोन) के फ्रैक्चर के साथ चोट आई है। आगे यह तर्क दिया गया कि चोटें गंभीर/चिंताजनक प्रकृति की हैं, जिस कारण घायल अनिल सिंह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके।

6. विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सीमा सिंह एवं प्रिंस सिंह के बयानों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा किए गए विशिष्ट प्रश्न पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख के परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि अपराहन 02:00 बजे की घटना के लिए प्राथमिकी रात्रि लगभग 21:23 बजे दर्ज कराई गई है। आवेदक-अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका आवंटित नहीं की गई है। विवेचना प्रचलित है। आवेदक-अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
10. अभियुक्त/आवेदक को संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद एक व्यक्तिगत बंधपत्र (पर्सनल बॉन्ड) तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** तथा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन री **[(2024) 10 एससीसी 685]** के अपने निर्णयों में व्यक्त मत के आलोक में किया गया है।
11. आवेदक-अभियुक्त निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

22 जून, 2026

आरती/-

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।